

राजस्थान सरकार  
कार्यालय आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:-एफ 1( )स्था/निकाशि/19/ 4353

दिनांक:-05-07-2019

1. समस्त प्राचार्य,  
राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
2. समस्त सहायक निदेशक,  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
3. प्राचार्य राजस्थान संगीत संस्थान, जयपुर।
4. प्राचार्य राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, जयपुर।

विषय :- मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति के पश्चात् ली जाने वाली टंकण परीक्षा के संबंध में।

संदर्भ :- उप शासन सचिव, कार्मिक(क-2) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर के पत्रांक पं.3(1)कार्मिक/क-2/2013 दिनांक 26.06.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देश दिये जाते हैं कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 02.01.2017 से पूर्व राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के नियम 9 के अन्तर्गत नियुक्ति के पश्चात् एक वर्ष में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करने तथा तीन वर्ष में टंकण परीक्षा (अंग्रेजी/हिन्दी) उत्तीर्ण किये जाने का प्रावधान के अनुसार आपके अधीन कार्यरत जिन कार्मिकों द्वारा नियुक्ति के पश्चात् निर्धारित समयावधि में उक्त कम्प्यूटर कोर्स/टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है के संबंध में पूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुए निम्न तालिका में सूचना तत्काल प्रभाव से आज सायं 5 बजे तक [jdadmncce@gmail.com](mailto:jdadmncce@gmail.com) पर भिजवाने का श्रम करें :-

विभाग का नाम	कर्मचारी का नाम जिन्होंने निर्धारित समयावधि में कम्प्यूटर कोर्स अर्जित नहीं किया है।	कर्मचारी का नाम जिन्होंने कम्प्यूटर कोर्स अर्जित कर लिया है। किन्तु टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है।	कर्मचारी का नाम जिन्होंने निर्धारित समयावधि के पश्चात् टंकण परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने हेतु कार्मिक विभाग से शिथिलन प्राप्त किया हो और उसके पश्चात् भी अभी तक टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है।	कर्मचारी की नियुक्ति तिथि
1	2	3	4	5

(डॉ० दीपक मेहरा)  
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)  
कॉलेज शिक्षा, राज० जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

✓ प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट, कृपया उक्त आदेश को साईट पर अपलोड करें।

(डॉ० दीपक मेहरा)  
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)  
कॉलेज शिक्षा, राज० जयपुर।